

डिस्क्लेमर

परामर्श पत्र संख्या 23/2021-22 के मुख पृष्ठ, हितधारकों की टिप्पणियां और हितधारकों के परामर्श की समय-सीमा संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।



भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

**बीपीसीएल कन्नूर फ्यूल फार्म प्राइवेट लिमिटेड (बीकेएफएफपीएल)
के संबंध में कन्नूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर तृतीय नियंत्रण अवधि
(01.04.2021 से 31.03.2023) के लिए ईंधन अवसंरचना शुल्क के निर्धारण के
मामले में**

06 दिसम्बर, 2021

**ऐरा भवन
प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली – 110003**

हितधारकों की टिप्पणियां

प्राधिकरण को ज्ञात है कि विमानन क्षेत्र **कोविड-19 महामारी** के कारण अत्यधिक अस्त-व्यस्त और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है और इसके कारण विश्व भर के प्रमुख शहरों में लॉकडाउन की स्थिति होने के परिणामस्वरूप अंतरदेशीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों हवाई यात्राओं पर रोक है। प्राधिकरण ने स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव ('एमवाईटीपी') में दिए गए विभिन्न अनुमानों के आधार पर **कोविड-19 महामारी** के प्रभाव की जांच करने के बाद यह परामर्श पत्र जारी किया है। तदनुसार टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर प्राधिकरण का मत इस परामर्श पत्र में विस्तार से स्पष्ट किया गया है।

इसलिए ऐरा अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 06 दिसम्बर, 2021 के परामर्श पत्र संख्या 23/2021-22 पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियां अधिमानतः इलैक्ट्रॉनिक रूप में निम्नलिखित पते पर आमंत्रित की जाती है:

निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ)

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा), ऐरा

प्रशासनिक परिसर, सफदरजंग हवाईअड्डा,

नई दिल्ली-110003, भारत

ई-मेल : satish.kr@aera.gov.in, mravi.aera@govcontractor.in

प्रतिलिपि : director-ps@aera.gov.in और secretary@aera.gov.in

हितधारकों की टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख : 27/12/2021

जवाबी टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख : 06/01/2021

टिप्पणियां एवं जवाबी टिप्पणियां ऐरा की वेबसाइट www.aera.gov.in पर डाली जाएगी।

किसी भी स्पष्टीकरण/ सूचना के लिए निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ) से दूरभाष संख्या +91-11-24695048 पर संपर्क किया जा सकता है।

13 हितधारकों के परामर्श की समय-सीमा

- 13.1 ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(4) के प्रावधान के अनुसार परामर्श पत्र के अन्य अध्यायों की संगत चर्चा के साथ पठित अध्याय 12 – प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार में निहित प्रस्ताव एतद् द्वारा हितधारकों के परामर्श के लिए प्रस्तुत है।
- 13.2 संदेह दूर करने के लिए स्पष्ट किया जाता है कि इस परामर्श पत्र की विषय-वस्तु का प्राधिकरण द्वारा जारी किसी आदेश या निदेश की तरह अर्थ न लगाया जाए। प्राधिकरण इस मामले के जवाब में हितधारकों की प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद और अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में टैरिफ आदेश में पूर्ण रूप से लिखित रूप में प्रमाणित और स्पष्ट निर्णय करने के बाद ही इस मामले में आदेश जारी करेगा।
- 13.3 प्राधिकरण उपर्युक्त अध्याय 12 में दिए गए प्रस्तावों पर हितधारकों के लिखित साक्ष्य-आधारित फीडबैक, टिप्पणियों और सुझावों का स्वागत करता है, जिन्हें अधिक से अधिक 27.12.2021 तक भेज दिया जाए।

सचिव,

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

ऐरा भवन, प्रशासनिक परिसर, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली –110003

टेलिफोन : 011-24695044-47, फैक्स : 011-24695048

ई-मेल : satish.kr@aera.gov.in, mravi.aera@govcontractor.in

प्रतिलिपि : director-ps@aera.gov.in ; secy@aera.gov.in

(अध्यक्ष)

